अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के आई०जी०सी०सी० इमरजेन्सी के पीछे रैन बसेरा के उपरी तल्ला पर रोगियों एवं परिजनों के सुविधा हेतु रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिये निर्णयों के आलोक में डॉ० रामनरेश यादव सस्ता भोजनालय/खान-पान दुकान खोलने हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रकाशित होने के १५ (पन्द्रह) दिनो के अंदर स्पीड-पोस्ट एवं निबंधित डाक द्वारा जमा करेगें। विलम्ब से प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

निविदा की आवश्यक शर्त्ते एवं सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मिलकर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान :-

(१) आई०जी०सी०सी० इमरजेन्सी के पीछे रैन बसेरा के उपरी तल्ला पर

ह०/-

अधीक्षक

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा की आवश्यक शर्त्ते

(१) निविदा दो प्रकार की होगी-तकनीकी एवं वित्तीय। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे।

(२) निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा तथा वित्तीय निविदा में खान-पान सामग्रियों का दर संबंधित पत्र डालना होगा तथा शेष शर्त्ते अनुरूप दस्तावेज तकनीकि निविदा में डालना होगा।

(३) निविदादाता को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

(४) पहचान पत्र के रूप में वोटर आई कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड में से एक होना चाहिए।

(५) आवेदन के साथ १०,०००रू०० (दस हजार) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। (रैन बसेरा हेतु)

(६) दूकान का मासिक किराया, सरकार द्वारा निर्धारण अनुसार देय होगा।

(७) दूकान ०५(पाँच) वर्ष के लिए आवंटित होगा। संतोषप्रद कार्य होने पर पाँच साल के बाद दोबारा ०५ (पाँच) वर्ष के लिए अवधि बढाई जा सकती है।

(८) प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत की दर से किराया बढ़ोतरी होगी।

क्रमशः

(६) दूकान में हीटर आदि का प्रयोग नहीं करना होगा। बिजली का मीटर स्वयः लगाना होगा। तथा बिजली बील का भुगतान स्वयः करना होगा।

(१०) दुकान में शुद्ध पेय जल हेतु वाटर कुलर के साथ आर०ओ० मशीन स्वयः लगाना होगा।

(११) दुकान में कुर्सी टेबल फर्नीचर की व्यवस्था स्वयः करना होगा, एवं खाना बनाने का कार्य उपरी फ्लोर पर होगा।

(१२) खाना बनाने का कार्य स्प्च्प्ळ गैस पर ही करना होगा।

(१३) रैन बसेरा (दुकान) का साफ-सफाई स्वंय करना होगा।

(१४) नाश्ता का दर २०ऋ०० (बीस) रू० निर्धारित होगा तथा खाना का दर ४०ऋ०० (चालीस) रू० एवं चाय का दर ०५ऋ०० (पाँच) रू० निर्धारित होगा।

भोजन एवं नाश्ता का निर्धारित दर से कम दर अंकित निविदा स्वीकृत किये जायेगें।

(१५) नाश्ता एवं खाना में निम्नलिखित खाद्य सामग्री आपूर्ति करना होगा।

(क) नाश्ता - ०४ कचौरी + ०२ जलेबी + ०१सब्जी / ०२ रोटी (५० ग्राम आटा/रोटी) + ०१ सब्जी/छोले + ०१ भुटुरे

(ख) खाना - ०२ रोटी + १०० ग्राम चावल/१५० ग्राम चावल + दाल (०१ कटोरी) + भुजिया + सीजनल हरी सब्जी/चना धुधनी/आलु मटर/आलु चना

(१६) खान-पान दूकान के लिए फुड निरिक्षण से लाईसेंस दूकान आवंटित होने के बाद देना होगा।

(१७) निविदादाता को कम से कम खान-पान दूकान चलाने का तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

(१८) किसी भी कारण से अस्पताल को नुकसान पहूँचाने पर जुर्माना लगेगा।

(१६) इन दूकानों का सूचारू रूप से नियमानुसार चलाने के लिए एक तीन सदस्यीय कमिटी करेगी। जिसमें अस्पताल का दोनों उपाधीक्षक एवं एक मुख्य आकस्मिक चिकित्सा पदाधिकारी रहेगें।

(२०) थाना/वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचारण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

(२१) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

अधीक्षक
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना